न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 140/2019

चन्द्रपाल शर्मा पुत्र स्व. श्री बेदराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कृष्णा भवन वार्ड नम्बर 16 सिहांवाला टीवा, नीम का थाना रोड़ खेतड़ी।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 17.09.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.08.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 140/2019 पर दिनांक 21.08.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/1262—63 दिनांक 26.08.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी ने पत्रांक 576 दिनांक 11.09.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दिनांक 02.08.2019 को इस कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत परिवाद लेकर आये थे। उनको उपकोषालय स्तर पर यह जवाब देकर भेजा गया था की कोषागार/उपकोषागार से सम्बधित सूचना देने के लिए श्रीमान अति.जिला कलक्टर झुंझुनू लोक सूचना अधिकारी है, उनके यहां आवेदन करें। श्रीमान अति.जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावेगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपकोषाधिकारी) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 02.08.2019 को उनके कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत परिवाद उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को उपकोषालय स्तर पर यह जवाब देकर भेजा गया था की कोषागार/उपकोषागार से सम्बधित सूचना देने के लिए श्रीमान अति.जिला कलक्टर झुंझुनू लोक सूचना अधिकारी है, उनके यहां आवेदन करें। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू के यहां आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू